

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2(क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली 2013 के
नियम-17(क) को देखें

ई-मेल

दूरभाष
फैक्स

पत्रांक— ६४५८
सेवा में,

दिनांक— २१-१०-१९

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक,
दून पब्लिक स्कूल, खौलिया कम्पाउण्ड,

नवाबी रोड, हल्द्वानी।

विषय— निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक—29.07.2019 के क्रम में आपके विद्यालय दून पब्लिक स्कूल, खौलिया कम्पाउण्ड, नवाबी रोड हल्द्वानी (विद्यालय का पूरा नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा 19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मान एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद नैनीताल में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या—०९/२०१९ है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवद्वीय,



मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जनपद—नैनीताल
उत्तराखण्ड

